कार्यालय अधिष्ठाता

श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)

ई –मेल : deanshivpuri@gmail.com वेबसाइट http://shivpurimedicalcollege.com

क्रमांक. 13459-65 / स्था. / अराज / 2021 शिवपुरी, दिनांक – 22/11/2021

/ / कार्यालय आदेश / /

श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी को एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से प्राप्त वरीयता सूची अनुसार दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत योग्य पाये गये उम्मीदवारों का चयन गैर–शैक्षणिक संवर्ग के पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कार्य ग्रहण करने की दिनांक से तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर वर्णित शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है।

स.क्र.	आवेदन क्रमांक	आवेदक का नाम	पिता / पति का नाम	पदनाम	श्रेणी	वेतनमान
1	MCS0721001012	Aman Sharma	Radha Raman Sharma	Document List	अनारक्षित	सातवें वेतनमान लेवल–4 19500+ शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत देय भत्ते
2	MCS0721000788	Amit Kosta	Sunita Kosta	Assistant Librarian	अनारक्षित	सातवें वेतनमान लेवल–5 22100 + शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत देय भत्ते
3	MCS0721000707	Mahendra Kumar Tiwari	Ram naresh Tiwari	Assistant Grade-3	अनारक्षित	सातवें वेतनमान लेवल–4 में न्यूनतम वेतन रू. 19500 + शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत देय भत्ते
4	MCS0721000071	Devkinandan Kushwah	F.S Kushwah	Assistant Grade-3	अन्य पिछड़ा वर्ग	

उक्त नियुक्ति स्वशासी भर्ती नियमों की शर्तों के अधीन निम्नानुसार होगी :–

1. जिला मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने की दिनांक 29.11.2021 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
3. सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र–चयनित प्रत्याशी को न्यूनतम तीन वर्ष की सेवायें देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तो का पालन न करने पर उसे एक वर्ष के वेतन / मानदेय के बराबर की राशि इस चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी को चुकानी होगी। यह देय राशि संबद्धित से भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
4. सेवायें किसी भी समय (नियुक्तिकर्ता द्वारा) एक पक्ष, एक माह का नोटिस देकर या उसकी एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। तीन वर्ष पश्चात् चयनित प्रत्याशी द्वारा एक माह का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर एक माह का वेतन तथा भत्ते के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू–राजस्व की बकाया राशि की भांति वसूली योग्य होगी।
5. चयनित प्रत्याशी को पदस्थीकरण के स्थान तक जाने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
6. इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अ.पि.व. / महिला एवं विकलांग के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।
7. नियुक्ति स्वशासी संस्था की सेवा शर्तों के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।

Scanned with CamScanner

8. स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, अंकसूची एवं अन्य दस्तावेज जो आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये है, के सत्यापन में यदि प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त हुआ तो सेवायें बिना किसी नोटिस के स्वमेव समाप्त हो जावेगी एवं आपके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी।
9. उपस्थिति दिनांक को सम्पूर्ण प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति जमा करनी होगी एवं मेरे द्वारा पूर्णतः सत्य जानकारी दी गई है तथा कोई भी कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है जिनमें फेरबदल किया गया है। इस आशय का शपथ पत्र भी इस कार्यालय में प्रमाण पत्रों के साथ जमा कराना सुनिश्चित करें।
10. आप किसी भी राजनैतिक एवं विवादित गतिविधियों में भाग नहीं लेंगें, यदि यह पाया जाता है कि आप विवादित अथवा किसी भी अवधित गतिविधियों में लिप्त हैं तब अधिष्ठाता को आपकी नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार होगा जिसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगें।
11. एक बार इस संस्था में नियुक्ति होने के पश्चात् आपकी सेवायें अन्य संस्थाओं को स्थानांतरित नहीं होगी।
12. चयनित प्रत्याशी को अपनी उपस्थिति कार्यालय अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी देना अनिवार्य होगा।
13. आपके दस्तावेजों पर यदि किसी के द्वारा कोई आपत्ति ली जाती है/विवाद उत्पन्न होता है एवं वह सत्य पाया जाता है तो आपकी नियुक्ति निरस्त की जा सकती है।
14. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक सी–3–13/2019/03/एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 के अनुसार परीविक्षा अवधि में नियुक्त पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिषत एवं 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा।
15. उक्त पद पर चयनित अभ्यार्थी के कार्य कार्यभार ग्रहण करते समय अर्हता संबंधी दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा।
16. अभ्यार्थी को अपना अनुप्रमाण पत्र अपने निवास क्षेत्र के थाने/कोतवाली, प्रभारी से पुलिस सत्यापन करवाकर संस्था में जमा कराना होगा, अन्यथा आपका नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया
चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी(म.प्र.)

क्रमांक/3459-65/स्था./अराज/2021

शिवपुरी, दिनांक – 22/11/2021

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ।
3. कलेक्टर, जिला शिवपुरी म.प्र. की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. लेखापाल, लेखाशाखा, स्थानीय कार्यालय की ओर सूचनार्थ।
6. संबंधित चयनित अभ्यार्थी की ओर पालनार्थ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया
चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)

Scanned with CamScanner